कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैज़ाबाद

पत्रांक : 4021 / / दिनांक :14/07/2019

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है की कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, रुदौली, फैज़ाबाद को सीबीएसई बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने से बेसिक शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फैज़ाबाद

पृ. सं. बेसिक / / 2019 - 20 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 . खण्ड शिक्षा अधिकारी रुदौली, फैज़ाबाद

2 . प्रबंधक कैरियर मान्टेसरी स्कूल, ख्वाजा हाल, रुदौली, फैज़ाबाद

3 . कार्यालय प्रति

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फैज़ाबाद

प्रेषक

आयुक्त फैज़ाबाद मण्डल
फैज़ाबाद

सेवा में

सचिव
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद
शिक्षा केंद्र -2 समुदाय केंद्र ,
प्रीत बिहार , नई दिल्ली

पत्रांक : शि०स०/सीबीएसई / /2009 - 10 दिनांक :22 / 08 / 2010

विषय :- कैरियर मोंटेसरी स्कूल ख्वाजा हॉल , रुदौली , फैज़ाबाद को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय ,

उपयुक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृस्ट करते हुए निवेदन है की संदर्भित विद्यालय को सीबीएसई नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने में शासनादेश संख्या -1916 / 15 - 7 - 09 - 1 (299) /2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 गठित समिति द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 22 - 08 - 2009 के अनुसार एतदर्थ गठित समिति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिये जायेगा।

3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली / कौन्सिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगी।

5. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेगे।

6. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

7. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।

8. प्रतिबंधों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है की संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो शासनादेश संख्या -196 / 15 - 7 - 09 - 1 (299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
आयुक्त
फैज़ाबाद मण्डल
फैज़ाबाद

पृष्ठांकन संख्या : शि०स० /सी.बी.एस.ई. / 3048-60 /2009 - 10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० लखनऊ।

2. जिलाधिकारी , फैज़ाबाद।

3. जिला विद्यालय निरीक्षक फैज़ाबाद।

4. प्रबंधक कैरियर मोंटेसरी स्कूल , ख्वाजा हॉल , रुदौली , फैज़ाबाद

आयुक्त
फैज़ाबाद मण्डल
फैज़ाबाद